Dr. Juneja's
डा.ऑर्थो®
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment
8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

पुराने जोड़ों के दर्द का असरदार ईलाज, यह कोई
Temporary Pain Killer नहीं आयुर्वेदिक औषधि हैं

घुटना दर्द गर्दन दर्द कलाई दर्द कमर दर्द
Helpline : 7876977777 | www.drorthooil.com
Available at all medical & general stores

रैंकिंग में बड़ा सुधार, कमिश्नरेट पुलिस 73वें से पहले स्थान पर

आईजीआरएस

- कमिश्नरेट के 53 में से 52 थाने नंबर वन, सिर्फ बिधनू थाना पिछड़ा
- पुलिस कमिश्नर ने बिधनू थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब किया

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आईजीआरएस जनसुनवाई रैंकिग में कमिश्नरेट पुलिस ने यूपी में टॉप किया है। कमिश्नरेट पुलिस ने एक महीने में जनसुनवाई में लंबी छलांग लगाई है। कमिश्नरेट पुलिस सीधे 73वें नंबर से यूपी के सभी जिलों को पछाड़कर एक नंबर पर पहुंच गई। कमिश्नरेट पुलिस के 52 थाने नंबर एक पर हैं। सिर्फ बिधनू दूसरे नंबर पर है। बिधनू के थाना प्रभारी से सवाल-जवाब किया गया है।

दिसंबर महीने की आईजीआरएस जनसुनवाई रैंकिंग में कमिश्नरेट पुलिस 73वें स्थान पर थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर ने कई थानेदारों से स्पष्टीकरण तलब किया था। लगातार जनसुनवाई को सुधारते हुए कमिश्नरेट पुलिस जनसुनवाई में जनवरी महीने में नंबर एक पर पहुंच गई। कमिश्नरेट पुलिस को 125 में से 125 नंबर मिले हैं। किसी भी दिन डिफॉल्टर संदर्भ नहीं पाया गया। फीडबैक में कमिश्नरेट पुलिस को 30 में से 30 नंबर मिले। अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंदर ने बताया कि पिछले महीने रैंक 73 थी। एक-एक पैरामीटर पर कमिश्नरेट पुलिस ने काम किया है। सिर्फ बिधनू थाने को छोड़कर सभी नंबर एक पर हैं।

कानपुर जोन भी यूपी में टॉप पर: आईजीआरएस की रैंकिंग में कानपुर जोन ने भी यूपी में टॉप किया है। कानपुर जोन को पहली रैंक मिली है। कानपुर जोन के 139 में 133 थानों ने पहली रैंक हासिल की है।

अब संतुष्ट फीडबैक से मिलेंगे नंबर: शासन ने कई बदलाव किए हैं। अब आला अफसरों की ओर से क्लोज किए गए असंतुष्ट फीडबैक को कुल संतुष्ट फीडबैक में से घटाया नहीं जाएगा। आवेदक के संतुष्ट फीडबैक के प्रतिशत के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता से संपर्क किया या नहीं इसके आधार पर भी मासिक मूल्यांकन होगा। आवेदक से संपर्क न किया गया तो अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रशासन की रैंकिंग चार पायदान फिसली

दिसंबर महीने में जिला प्रशासन की रैंकिग 49 थी। जनवरी महीने में 53 हो गई है। प्रशासन को 130 में से 118 नंबर मिले हैं। 90.77 फीसदी अंक जिला प्रशासन को मिले। जिला प्रशासन की सबसे खराब स्थिति फीडबैक में रही है। इसमें 30 में से 24 नंबर मिले। डिफॉल्टर संदर्भ में भी 20 में से 18 नंबर जिला प्रशासन को मिले हैं। एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पिछले महीने 130 में से 115 नंबर मिले थे। इस महीने 130 में से 118 नंबर मिले है। रैंकिंग भले ही नीचे हुई है, लेकिन नंबर बढ़ गए हैं।

शहर 30s

अधिवक्ता 10 साल के लिए निलंबित

कानपुर। पनकी निवासी अधिवक्ता विक्रम सिंह को यूपी बार कौंसिल की अनुशासन समिति ने 10 साल के लिए निलंबित कर दिया हैं। रावतपुर गांव निवासी प्रियंका त्रिपाठी ने विक्रम सिंह सेंगर व उसके एक साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्होंने बैंक से 45 लाख का लोन लिया था। जिसके बदले में मकान को बंधक रखा गया था। दुकान में आग लगने से माल जल गया। वह लोग लोन नहीं चुका सके। प्रियंका ने विक्रम सिंह से मिलकर डीआरटी में मुकदमे की पैरवी की बात की। उन्होंने पैरवी शुरू कर दी और बताया कि प्रियंका के पक्ष में आदेश हो गया हैं। धीरे-धीरे करके रूपया जमा करना है। आरोप है कि विक्रम ने 47.85 लाख रुपये हड़प लिए।

हमला करने वाले दरोगा की गिरफ्तारी हो

कानपुर। प्रयागराज में अधिवक्ता पर पुलिस कर्मचारी द्वारा किए गए जानलेवा हमले पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर कर दरोगा की गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह जब अधिवक्ता वेशभूषा में न्यायिक कार्य से उच्च न्यायालय जा रहे थे। उस वक्त हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पुलिस कर्मचारी अतुल कुमार ने उनको रोककर हमला किया। अधिवक्ता न बचाते नहीं तो जान भी जा सकती थी। यह हमला अधिवक्ताओं की अस्मिता पर हमला है। बैठक के दौरान अरविंद दीक्षित, समीर मिश्रा, इशू सोनकर, आयुष शुक्ला आदि मौजूद रहे।

रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय अचानक पहुंचे जिलाधिकारी तो मचा हड़कंप

गायब मिले सीएमओ-एसीएमओ भड़के डीएम ने रोक दिया वेतन

निरीक्षण

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग पर लगातार एक्शन ले रहे डीएम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ, चार एसीएमओ व दो डिप्टी सीएमओ कार्यालय नहीं पहुंचने पर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने इन अधिकारियों समेत 34 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट दिया। सीएमओ समेत विभाग के आला अफसरों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इसको लेकर दिनभर सोशल मीडिया में खबरें वायरल होती रहीं।

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार सुबह लगभग पौने 10 बजे रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान कई कमरों में ताले लटक रहे थे। वह सीधे सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी के कक्ष पहुंचे तो वह भी कार्यालय नहीं आए थे। एसीएमओ डॉ यूबी सिंह व डिप्टी एसीएमओ डॉ राजेश्वर ही तब तक कार्यालय आए थे। बाकी चार एसीएमओ व दो डिप्टी सीएमओ समेत 34 स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी गायब मिले। सुबह लगभग 10 बजकर 10 मिनट तक सीएमओ कार्यालय रहे डीएम ने सीएमओ समेत सभी का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी विभागध्यक्षों को सुबह 10 से 12 के बीच जनसुनवाई हर हाल में करनी है। मंगलवार सुबह तय समय पर सीएमओ समेत कई अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे। यह लापरवाही का गंभीर मसला है।

कांशीराम अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर चेक करते डीएम।

हाजिरी रजिस्टर देखा, सफाई पर दें ध्यान

डीएम ने हाजिरी रजिस्टर देखा। रजिस्टर के हिसाब से 101 में से सिर्फ 34 ने ही कर्मी ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने वहां आए लोगों से भी बातचीत की। कहा किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

> मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना था। डीएम के आने की सूचना पर उन्हें कॉल कर जानकारी दी। उन्होंने जनसुनवाई हर हाल में करने की बात कह फोन काट दिया। बाकी कर्मचारी भी सवा दस बजे तक कार्यालय पहुंच गए थे। **डॉ हरिदत्त नेमी,** सीएमओ

राज्यपाल प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर नाराज, होगी जांच

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग में कार्यरत रहे डॉ राघवेंद्र गुप्ता की परेशानी बढ़ने वाली हैं। उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है। राज्यपाल ने गंभीर मामला बताते हुए मंडलायुक्त कानपुर को जांच करने का आदेश दिया है। 15 दिन में साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र देने को भी कहा गया। हालांकि पहले ही झांसी मेडिकल कॉलेज तबादला कर दिया था।

राज्यपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि डॉक्टर की इस कार्यशैली से स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया। हैलट के सामने ही पैथोलॉजी और क्लीनिक संचालित की गई।

काम बाधित करने वाले पार्षदों और क्षेत्रीय लोगों पर होगी एफआईआर

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कटिया रोकने के लिए खंभे हटाकर अंडरग्राउंड कराने के केस्को के काम का विरोध करने वालों पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर कराई जाएगी। काम में अड़गा लगाने की समस्या पर मंगलवार को केस्को के एक्सईएन तोयज भूषण मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात की। काम कराने में बाधा पैदा करने वाले चिन्हित 16 इलाकों की सूची भी दी। कमिश्नर ने डीसीपी पूर्वी और डीसीपी ईस्ट को निर्देशित कर केस्को की तहरीर मिलने पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं।

केस्को एक्सईएन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि जिन इलाकों में लाइनलॉस है, वहां भूमिगत व्यवस्था के तहत पैनल लगाए जाते हैं। इसमें कटिया मारने पर आसानी से लोग पकड़ जाते हैं। इसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ साथ पार्षद और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं।

JKCement
A SOLID LEGACY OF TRUST
JK Cement Limited
CIN No. : L17229UP1994PLC017199
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.)
Ph. : +91 512 2371478 to 81 | Fax : +91 512 2399854/ 2332665
website: www.jkcement.com | e-mail: shambhu.singh@jkcement.com

CORRIGENDUM

JK Cement published advertisement in leading newspapers on 26/27th January, 2025 regarding the extract of the un-audited consolidated and standalone financial results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2024. Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation 2015 as amended, please find below the Quick Response (QR) Code and the details of the web page where the financial result is accessible to the investors.

Details of the web page: **https://www.jkcement.com/wp-content/uploads/2025/01/OutcomeBM25012025.pdf**

Place : Kanpur
Date : 04.02.2025
For JK Cement Ltd.
Sd/-
Shambhu Singh
Company Secretary and Compliance Officer

मंदिर की आड़ में किया कब्जा, लगा जुर्माना

कानपुर। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ महापौर का चल रहा अभियान उस्मानपुर कालोनी में मंगलवार को च्चला। इस दौरान मंदिर की आड़ में गेस्ट हाउस संचालक के अवैध को तुड़वाया गया। गेस्ट हाउस संचालक पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ। महापौर ने उसे अल्टीमेटम दिया कि भविष्य में कब्जा किया तो मुकदमा दर्ज कराएंगे।

नाले के ऊपर कराया पक्का निर्माण: महापौर प्रमिला पांडे ने देखा कि गेस्ट हाउस संचालक ने नाले के ऊपर पक्का निर्माण कराकर एक जनरेटर रखा था। इतना ही नहीं गेस्ट हाउस संचालक फुटपाथ पर ही एक मंदिर का भी निर्माण करा रहा था। लोगों ने महापौर को बताया कि गेस्ट हाउस संचालक मंदिर की आड़ में नगर निगम की जमीन कब्जाना चाहता है।

बच्चे ने कहा, अंकल कैरम दिलाने के बहाने ले गए थे

- पुलिस ने तीन घंटे में बरामद किया मासूम को
- निर्माणाधीन मकान के पास से हो गया था लापता

बिठूर, संवाददाता। मंधना के चकरतनपुर गांव के देशी शराब ठेके के सामने निर्माणाधीन मकान से मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी का लापता पुत्र तीन घंटे में मंधना चौकी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। लापता बच्चे ने बताया अंकल कैरम बोर्ड दिलाएंगे यह कहकर उसे ले गए थे। पुलिस आरोपी को ढूंढ़ रही है।

कानपुर मेडिकल कॉलेज में लैब अटेंडेंट के पद पर तैनात रोहित कुमार मेडिकल कॉलेज के आवास में रहते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले चकरतनपुर में एक प्लॉट खरीदा था। जिसका निर्माण करवा रहे हैं। सोमवार दोपहर रोहित की मां सुधा अपने 5 वर्षीय नाती श्रेयांश उर्फ जोजो को भी साथ लाई थीं। वह खेलते हुए घर के बाहर से लापता हो गया। मंधना पुलिस इंचार्ज अरुण कुमार सिंह टीम के साथ पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तीन घंटे की मेहनत के बाद बच्चा घटना स्थल से तीन किमी दूर नानकारी के चंदेल गेट के पास मिला।मां विनीता ने बताया कि जोजो अभी दहशत में है। उसने बताया कि अंकल उसे कैरम बोर्ड दिलाने की बात कहकर ले गए थे। अंकल लौटते उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई।

छोटा पैग दिया तो कुल्हाड़ी से हमला

कानपुर। नवाबगंज में शराब पार्टी के दौरान छोटा पैग देने पर दोस्त पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। नवाबगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आजाद नगर निवासी आशीष मिश्रा के अनुसार दोस्त गुलाब सिंह ने अपने घर बुलाया।शराब पार्टी के दौरान उन्होंने गुलाब का पैग छोटा बनाया तो गाली देने लगा। विरोध पर कुल्हाड़ी मार दी।

साहब, पति मुंह में कपड़ा ठूंसकर करता है मारपीट

कानपुर। साहब मेरा पति दूसरे महिलाओं से बातचीत करता है। विरोध करने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर म्मारपीट करता है। ये बात मंगलवार को नवाबगंज थाने में नवाबगंज निवासी महिला ने थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा से की। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है।

पचास हजार का इनामी गो तस्कर टोल प्लाजा से दबोचा

- प्रतापगढ़ से वांछित तालिब पर दर्ज हैं आठ मुकदमे

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर की एसटीएफ यूनिट ने 50 हजार के इनामी अंतरजनपदीय गो-तस्कर को अरौल बिल्हौर के टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। शातिर प्रतापगढ़ से वांछित था। एसटीएफ ने आरोपी को प्रतापगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

एसटीएफ कानपुर यूनिट के प्रभारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि पटैला जौनपुर निवासी शातिर गो तस्कर मोहम्मद तालिब अरौल स्थित टोल प्लाजा की तरफ है। इसके बाद टीम ने सोमवार रात घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।

बिहार में करता था पशुओं की सप्लाई: एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब मोहम्मद तालिब से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर है और पशु तस्करी करता है।बिहार में पशुओं की सप्लाई करता था। उसने अपने कई साथियों के नाम भी भी पूछताछ में एसटीएफ को बताए। उसपर देवरिया में गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई है।

जीरा कारोबारी फर्म की लूट में मुकरा वादी, तीन दोषमुक्त

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बिरहाना रोड में नौ साल पहले जीरा कारोबारी की फर्म से क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर हुई लूट के मामले में सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों अमरेंद्र, सुरेंद्र और अभिमन्यु को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जबकि लूट का माल बरामद होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशीष कुमार सिंह ने आरोपी जावेद को दोषी मान दो साल कैद और एक हजार जुर्माना किया है।

बिरहाना रोड स्थित डी नटरवलाल गुजरात फर्म के कर्मचारी दीक्षित पटेल ने 30 जनवरी 2016 को फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमे कहा कि वह साथी योगेश पटेल के साथ फर्म के कार्यालय में बैठे थे। तभी चार लोग घुस आए। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता फर्म में रखे 14 लाख रुपये बैग में भरकर भाग निकले। भीड़ ने तीन लोगों को पकड़ा था। बैग से 12 लाख आठ हजार रुपये बरामद हुए थे। पकड़े गए लोगों में प्रयागराज निवासी अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुल्तानपुर निवासी सुरेंद्र कुमार कश्यप और गाजीपुर निवासी अभिमन्यु सिंह थे। जबकि इनका साथी भाग निकला था। बाद में पुलिस ने रावतपुर गांव निवासी जावेद हाशमी को गिरफ्तार किया था। 30 हजार बरामद किए।

आदतन शिकायत करने वालों पर होगी कार्रवाई

सख्ती

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बार-बार आ रहे एक ही प्रार्थना पत्र और आदतन शिकायत करने वालों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस अब कार्रवाई करेगी। एक ही तरह की कई बार शिकायत आने की वजह से पुलिस इन्हीं में उलझ कर रह जाती है। एक ही शिकायत पर अलग-अलग अधिकारियों के आदेश के बाद अलग-अलग विवेचनाधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक मॉनीटरिंग सेल बनाई है। वह ऐसी शिकायतों को अलग कर उस पर रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई कराएंगे।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कुछ लोग आदतन शिकायत करने वाले होते हैं। एक ही शिकायत के कई प्रार्थनापत्र अलग-अलग तारीखों में और अलग अलग पुलिस अधिकारियों के ऑफिस में दे देते हैं। पुलिस ऑफिस में बनी स्पेशल सेल में शाम तीन से चार बजे तक ऐसे प्रार्थना पत्रों की जांच की जाएगी। कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक ही मामले की पहले थाने में फिर संबंधित जोन में उसके बाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत लगातार आ रही है। जन शिकायत के दौरान इससे पुलिस अधिकारियों का समय तो खराब होता ही है साथ ही जन शिकायत में आए कई लोग बिना अपनी बात कहे चले जाते हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस व्यवस्था से लोगों को कम समय में न्याय तो मिलेगा ही साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिकायत भी सुनी जाएंगी।

> एक ही व्यक्ति कई बार एक ही मामले में कई बार शिकायत करता है। जिससे पुलिस का समय तो बर्बाद हो ही रहा साथ ही कार्रवाई करने में भी परेशानी हो रही है। दोनों समस्याओं से बचने को स्टॉफ अफसर (एडीसीपी) के नेतृत्व में एक सेल का गठन किया गया है। वह शिकायतों को अलग करके उस पर कार्रवाई कराएगी। **अखिल कुमार,** पुलिस कमिश्नर

इंडियन बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Indian Bank
(A Govt. of India Undertaking)
ई–नीलामी
इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालयः 15/287 महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, बड़ा चौराहा कानपुर, उ.प्र. – 208001

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरणा और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रतिकात्मक (सांकेतिक) कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक द्वारा ले लिया गया है। **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर प्रतिभूति लेनदार की निम्नलिखित सम्पत्तियों को सम्बंधित ऋणियों एवं प्रत्याभूति दाताओं से बकाया धनराशि की वसूली हेतु दिनांक **07.03.2025** को बेचा जायेगा। विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	ऋणी/खाताधारक का नाम / शाखा का नाम	जमानतकर्ता का नाम / सम्पत्ति मालिक/बन्धककर्ता का नाम	बैंक की दावा राशि / सम्पत्ति पर भार	सम्पत्ति का विवरण (सेल डीड के अनुसार) / आई डी सं.	रिजर्व प्राइस / धरोहर धनराशि / वृद्धि वाली राशि
1.	1. श्रीमती बिंदु दुबे पत्नी श्री रुद्र प्रताप दुबे (अब मृतक) स्व0 बिंदु दुबे के कानूनी वारिसः i). श्रीमती निर्मल दुबे पत्नी श्री अखिलेश शुक्ला (पुत्री) ii). श्रीमती किरण मिश्रा पत्नी श्री पवन मिश्रा (पुत्री) 2. श्री त्रिभुवन दुबे पुत्र स्व0 रुद्र प्रताप दुबे **शाखाः गीता नगर, कानपुर मो0: 9630081451**	श्री अरविन्द दुबे पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप दुबे श्रीमती बिंदु दुबे पत्नी श्री रुद्र प्रताप दुबे (अब मृतक) स्व0 बिंदु दुबे के कानूनी वारिसः i). श्रीमती निर्मल दुबे पत्नी श्री अखिलेश शुक्ला (पुत्री) ii). श्रीमती किरण मिश्रा पत्नी श्री पवन मिश्रा (पुत्री)	रू. 16,26,362.00 दिनांक 26.01.2025 तक ब्याज, लागत, अन्य शुल्क एवं खर्चे दिनांक 27.01.2025 से ज्ञात नहीं	भूमि एवं भवन के सभी भाग व खण्ड स्थित प्लॉट सं. I-252, LIG-3, ब्लॉक–I, योजनाः गुजैनी, KUDP, कानपुर नगर **संपत्ति का क्षेत्रफलः 57.75 वर्ग मीटर** **संपत्ति के मालिकः** श्रीमती बिन्दु पत्नी श्री रूद्र प्रताप दुबे **चौहद्दीः उत्तरः** 4.50 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 221, **पूर्वः** प्लॉट सं. 251, **पश्चिमः** 7.50 मीटर चौड़ी सड़क **प्रापर्टी आईडी नं. IDIB268412**	रू. 30,31,000/– रू. 3,03,100/– रू. 10,000/–

QR CODE

Bank Website www.indianbank.in	E-Auction Website	Document	Property Location	Video of Property	Photo of Property

क्र. सं.	ऋणी/खाताधारक का नाम / शाखा का नाम	जमानतकर्ता का नाम / सम्पत्ति मालिक/बन्धककर्ता का नाम	बैंक की दावा राशि / सम्पत्ति पर भार	सम्पत्ति का विवरण (सेल डीड के अनुसार) / आई डी सं.	रिजर्व प्राइस / धरोहर धनराशि / वृद्धि वाली राशि
2.	1. श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार 2. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम औतार **शाखाः उन्नाव मुख्य, जिला उन्नाव मो0: 9956298876**	–––––––– श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार	रू. 9,69,542.00 दिनांक 26.01.2025 तक ब्याज, लागत, अन्य शुल्क एवं खर्चे दिनांक 27.01.2025 से ज्ञात नहीं	भूमि एवं भवन के सभी भाग व खण्ड आवासीय प्लॉट, भूमि संख्या 3590 मि. (नगर पालिका, उन्नाव के अंदर), मोहल्लाः प्रिया दर्शिनी नगर, उन्नाव शहर, परगना, तहसील एवं जिला उन्नाव **संपत्ति का क्षेत्रफलः 55.76 वर्ग मीटर** **संपत्ति के मालिकः** श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार **चौहद्दीः पूर्वः** सूरज बाली का प्लॉट, मापः 50 फीट, **पश्चिमः** आराजी पाण्डेय जी, मापः 50 फीट, **उत्तरः** सूरज बाली का प्लॉट, मापः 12 फीट, **दक्षिणः** रास्ता 30 फीट, मापः 12 फीट **प्रापर्टी आईडी नं.IDIB455017**	रू. 22,18,000/– रू. 2,21,800/– रू. 10,000/–

QR CODE

Bank Website www.indianbank.in	E-Auction Website	Document	Property Location	Video of Property	Photo of Property

नीलामी की तारीख व समय 07.03.2025 प्रातः 11.00 बजे से 5 बजे तक 10 मिनट के अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित बोली वृद्धि राशि के साथ।

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल (https://www.baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, अपना eKYC पूरा करने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को दिनांक 07.03.2025, शाम 04.30 बजे तक ईएमडी राशि अपने ई–वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी। पंजीकरण, eKYC और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए।
ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://www.baanknet.com) हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा। लिमिटेड, (सम्पर्क: 8291220220, ईमेल आईडीः– support.baanknet@psballiance.com). इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.baanknet.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है।

कॉरपोरेट ऑफिसः अव्वई शनमुगम सलाई रॉयपेट्टाह, चेन्नई – 600014

दिनांकः 04.02.2025 स्थानः कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक